भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5509
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

कर्नाटक में 'अमृत 2.0'

†5509. **श्री तेजस्वी सूर्या:**

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 'अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0' के अंतर्गत कार्यान्वित की गई परियोजनाओं और आबंटित तथा उपयोग की गई निधियों का विशेषकर कर्नाटक में वर्षवार, परियोजनावार और राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का उक्त मिशन की अवधि बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) : अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 को 01 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया, जिससे शहर 'आत्म निर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। **500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में से एक है। जलाशयों का पुनरूद्धार, हरित स्थानों और पार्कों आदि का विकास मिशन के अन्य घटक हैं।** योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अमृत 2.0 दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवक्र के अंदर परियोजनाओं का चयन करने, डिजाइन बनाने, अनुमोदन, प्राथमिकता देने और कार्यान्वयन करने का अधिकार है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्च अधिकार प्राप्त संचालन

समिति (एसएचपीएससी) की सिफारिश के अनुसार अमृत 2.0 के तहत राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को अनुमोदन देता है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, केंद्रीय निधियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी किया जाता है, न कि परियोजना-वार। राज्य अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति के अनुसार व्यय करते हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ₹1,89,087.31 करोड़ रु. (संचालन एवं रखरखाव लागत सहित) की कुल 8,868 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। परियोजनाओं के लिए आवंटित कुल 66,750 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता (सीए) में से 12,511.94 करोड़ रु. जारी/स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसके सापेक्ष 7,486.90 करोड़ रु. मूल्य के उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त हो चुके हैं।

कर्नाटक राज्य में, अमृत 2.0 के अंतर्गत 10,274.13 करोड़ रु. (संचालन एवं रख-रखाव लागत सहित) की कुल 684 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 9,589.65 करोड़ रु. की 227 जलापूर्ति परियोजनाएं, 542.27 करोड़ रु. की 203 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं और 142.21 करोड़ रु. की 254 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

कर्नाटक राज्य सहित वर्ष 2021-22 से प्राप्त परियोजनाओं के लिए आवंटित और जारी किए गए केंद्रीय हिस्से और उपयोग प्रमाण पत्रों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

अमृत 2.0 मिशन का वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन करने का अनुमोदन दिया गया है। **वर्तमान में इस मिशन को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।**

*****

“कनार्टक में अमृत 2.0” के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 5509 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए जारी/स्वीकृत केन्द्रीय हिस्से और प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र की राज्य-वार स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता	जारी/स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा					प्राप्त यूसी				
			2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 तक)	कुल	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 तक)	कुल
1	अंडमान और निकोबार	36	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	2948	0.00	213.12	376.43	0.00	589.55	0.00	200.22	0.00	0.00	200.22
3	अरुणाचल प्रदेश	226	0.00	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	775	0.00	56.65	0.00	89.09	145.74	0.00	17.89	0.00	0.00	17.89
5	बिहार	2628	0.00	0.00	400.00	10.77	410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	चंडीगढ़	170	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	1303	0.00	148.40	0.00	4.12	152.52	0.00	125.53	0.00	0.00	125.53
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	30	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	2885	0.00	211.41	0.00	71.25	282.66	0.00	172.73	0.00	0.00	172.73
10	गोवा	85	0.00	0.00	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गुजरात	4512	0.00	602.73	0.00	702.74	1305.47	0.00	602.73	0.00	275.00	877.73
12	हरियाणा	1496	0.00	0.00	140.00	4.24	144.24	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
13	हिमाचल प्रदेश	256	0.00	0.00	51.56	51.11	102.67	0.00	0.00	48.51	0.00	48.51
14	जम्मू और कश्मीर	867	0.00	158.60	0.00	0.00	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता	जारी/स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा					प्राप्त यूसी				
			2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 तक)	कुल	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 तक)	कुल
15	झारखंड	1183	98.23	6.29	0.00	82.92	187.44	8.23	0.00	0.00	0.00	8.23
16	कर्नाटक	4628	0.00	614.37	0.00	462.77	1077.14	0.00	614.37	0.00	278.91	893.28
17	केरल	1374	0.00	148.74	0.00	0.00	148.74	0.00	101.36	0.00	0.00	101.36
18	लद्दाख	128	0.00	11.70	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप*	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	4065	130.08	153.77	0.00	0.00	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	महाराष्ट्र	9310	0.00	1140.68	0.00	911.28	2051.96	0.00	1140.68	0.00	373.36	1514.04
22	मणिपुर	170	0.00	0.60	16.45	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	111	0.00	21.69	43.38	10.85	75.92	0.00	21.69	43.38	10.85	75.92
24	मिजोरम	143	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	24.71	0.00	24.71
25	नागालैंड	176	0.00	0.00	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1373	127.47	101.92	126.00	168.65	524.04	127.47	97.25	126.00	0.00	350.72
27	पुदुचेरी	150	0.00	12.42	16.40	18.22	47.04	0.00	12.42	16.40	18.22	47.04
28	पंजाब	1836	0.00	254.69	0.00	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	राजस्थान	3552	0.00	95.53	213.75	386.17	695.45	0.00	95.53	202.54	0.00	298.06
30	सिक्किम	40	0.00	0.00	3.62	4.38	8.00	0.00	0.00	3.62	0.00	3.62
31	तमिलनाडु	4942	0.00	398.13	447.73	769.07	1614.92	0.00	398.13	421.32	0.00	819.45
32	तेलंगाना	2789	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	त्रिपुरा	157	0.00	18.42	46.51	14.18	79.11	0.00	18.42	36.84	0.00	55.26
34	उत्तर प्रदेश	8161	0.00	521.41	156.66	618.60	1296.68	0.00	521.41	156.66	579.06	1257.14
35	उत्तराखंड	585	0.00	42.08	0.00	55.32	97.39	0.00	31.22	0.00	0.00	31.22
36	पश्चिम बंगाल	3658	0.00	495.65	0.00	0.00	495.65	0.00	424.25	0.00	0.00	424.25
कुल		66750	455.78	5461.99	2146.94	4447.23	12511.94	135.70	4595.83	1219.97	1535.39	7486.90

*	लक्षद्वीप ने अमृत 2.0 के अंतर्गत कोई परियोजना शुरू नहीं की है।

*****